

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली -110031

office copy

सं. : सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू./वि.स.सत्र/2023/

दिनांक:

सेवा में,

उप/सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:- विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15.12.2023 के संबंध में ।

महोदय,

कृप्या आपके कार्यालय के ई-मेल दिनांक 05.12.2023 का अवलोकन करें जिसके साथ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 48 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है । इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ हेतु संलग्न है

यह उत्तर माननीय मंत्री (सि. एवं बा. नि.) से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है ।

संलग्न: उपरोक्त ।

भवदीय,

शिव कुमार

(शिव कुमार)

कार्य सार्वक्षक/नोडल अधिकारी

सं. : सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू./वि.स.सत्र/2023/9495-98

13/12/2023

प्रतिलिपि:-

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-2 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रधान सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली -110054 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित ।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित ।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

कार्य सार्वक्षक/नोडल अधिकारी

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली ।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 48

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

दिनांक : 15-12-2023

प्रश्नकर्ता का नाम : सुश्री भावना गौड़

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा के वार्ड महावीर एनक्लेव में बाढ़ नियंत्रण विभाग का एक नाला है:	जी हाँ।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा इस नाले पर कुछ पुलिया बनाने के एस्टीमेट बनाये गये थे,	जी हाँ बनाये गये है ।
(ग)	यदि हाँ, तो ये एस्टीमेट कब तथा किस वर्ष में बनाये गये हैं;	वर्ष 2018-19 में बनाये गए थे
(घ)	इस काम में अगर देरी हुई है तो देरी का कारण बतायें; और	यह कार्य 41वीं TAC मीटिंग में स्वीकृत हुआ था। परन्तु गलती से रद्द की गई सूची में पढ़ लिया गया। इस बारे में माननीय विधायक जी को अवगत भी करा दिया गया था।
(ङ)	इस कार्य की वर्तमान स्थिति का व्यौरा उपलब्ध करवाए?	इस कार्य का प्रस्ताव बना दिया गया है, तथा वित्तीय स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा जा रहा है।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी/कार्यसंबंधक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार